दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 29 जनवरी, 2014
निर्णित तिथि: 17 फरवरी, 2014

आप.आ.623/2012

विक्रम उर्फ़ गंजा ..... अपीलकर्ता

द्वारा: श्री वी.के शुक्ला, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, राज्य के लिए अति.लो.अभि.।

कोरम:
न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग

न्या. श्री एस.पी. गर्ग

1. यह अपील विक्रम उर्फ गंजा द्वारा थाना सिविल लाइंस में पंजीकृत प्राथमिकी सं.158/07 से उत्पन्न सत्र मामला सं. 122/11 में दिनांक 30.03.2012 के निर्णय की वैधता को चुनौती देने के लिए पेश की गई है, जिसके द्वारा उसे और उसके सहयोगियों को धारा 395/397 भा.दं.सं. के तहत अपराध का अपराधी माना गया था। दिनांक 03.04.2012 के आदेश द्वारा, उन्हें धारा 395 सहपठित धारा 397 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत सात वर्ष

के कठोर कारावास तथा 5,000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई तथा जुर्माना अदा न करने पर पांच माह के अतिरिक्त सादा कारावास की सजा सुनाई गई।

2. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, जैसा कि आरोप पत्र में पेश किया गया है, यह है कि दिनांक 26.06.2007 को लगभग 3.15 बजे, बाहरी रिंग रोड, सीएनजी पंप के पास, चंदगीराम अखाड़ा, दिल्ली में, अपीलकर्ता और उसके सहयोगियों समीर उर्फ सोनू, राज कुमार, अशोक कुमार और अमित उर्फ बाउंसर ने सामान्य इरादे से टेम्पो सं. डीएल-1एलएच-4864 में रखे गए प्लास्टिक के कच्चे माल के 28 बैगों की लूट की, जो उसके चालक जहांगीर अली के पास था। यह भी आरोप लगाया गया कि विक्रम उर्फ गंजा ने लूटपाट करते समय चाकू का इस्तेमाल किया। सलीम उर्फ खान के पास प्लास्टिक के कच्चे माल से भरे 28 बैग पाए गए, जिन्हें उसने लूटी हुई/चोरी की संपत्ति होने का विश्वास करते हुए प्राप्त किया या अपने पास रखा। जांच के दौरान, तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच पूरी होने के बाद अमित उर्फ बाउंसर को छोड़कर बाकी सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में कार्यवाही की गई। अभियुक्तों पर विधिवत आरोप लगाए गए और उन पर विचारण किया गया। अभियोजन पक्ष ने चौदह गवाहों की जांच की। 313 बयान में, अभियुक्तों ने झूठे आरोप लगाने का अनुरोध किया और अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। विचारण के परिणामस्वरूप उन्हें धारा 395/397 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया गया।

यह उल्लेख करना उचित है कि सलीम और अशोक ने क्रमशः आप.अ.सं.481/2012 और 480/2012 में अपना अपराध स्वीकार किया और उनकी अपीलों का निपटान इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2013 के आदेश द्वारा किया गया।

3. अपीलकर्ता की दोषसिद्धि अभि.सा.-3 (जहांगीर अली) की एकमात्र गवाही पर आधारित है, जिसने घटना के तुरंत बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने सबसे पहले दर्ज किए गए अपने बयान (पूर्व अभि.सा.-3/ए) में घटना का विस्तृत विवरण दिया तथा बताया कि कैसे और किन परिस्थितियों में हमलावरों ने उससे प्लास्टिक के कच्चे माल के 28 बैग लूट लिए। उसने दावा किया कि वह उन्हें पहचानता है। न्यायालय में अपने बयान में उसने पुलिस को दिए गए बयान का बिना किसी बदलाव के समर्थन किया और कहा कि वह टेम्पो सं. डीएल 1एलसी-4864 चलाता था और दिनांक 25.06.2007 को उसने 1665 औद्योगिक क्षेत्र, नरेला से प्लास्टिक के कच्चे माल के 28 बैग ओखला में उतारने के लिए रखे थे। जब वह रात करीब नौ बजे बाइपास, मजनू टिल्ला, रेड लाइट के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया, उन्होंने स्टेपनी बदली और आगे बढ़ गए। रात 12 बजे जब वह चांदगी अखाड़ा, सीएनजी पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो एक टायर फिर पंचर हो गया और उसने टेंपो सड़क किनारे लगा दिया। आगे जाने का कोई साधन न होने के कारण वह टेंपो में ही सो गया। सुबह करीब 3 बजे एक

व्यक्ति आया और उसने स्क्रू ड्राइवर मांगा। जब उसने (शिकायतकर्ता ने) कहा कि स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तो वह चला गया। करीब 15 मिनट बाद हमलावरों ने उसके पैर और बाल पकड़ लिए और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। उन्होंने टेम्पो में रखे कच्चे प्लास्टिक के 28 बैग लूट लिए; उन्हें आरटीवी में डालकर आईएसबीटी की तरफ भाग गए। उसने 100 सं. पर पुलिस को फोन किया। न्यायालय में दिए गए अपने बयान में उन्होंने न्यायालय में विचारण का सामना कर रहे हमलावरों की पहचान की तथा विक्रम की विशेष भूमिका बताई जिसने उनकी गर्दन पर चाकू रखा था। अपीलकर्ता ने अवसर मिलने के बावजूद गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की। शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए तथ्य प्रतिपरीक्षा में चुनौती रहित और अखंडनीय रहे। शिकायतकर्ता का अपीलकर्ता को झूठा फंसाने का कोई मकसद नहीं पाया गया, जिसका उनके साथ पहले से कोई परिचय या दुश्मनी नहीं थी। अभि.सा.-4 (नीरज जैन) ने 28 बैगों के स्वामित्व का दावा किया तथा इन्हें सुपरदगीनामा (प्र.अभि.सा.-4/ए) के तहत सुपरदारी पर ले लिया। अभि.सा.-5 (अनिल कुमार) ने लूटे गए बैगों को ले जाने के लिए प्रयुक्त आर.टी.वी. सं. डीएल-1वीए-1402 पेश की। दिनांक 01.07.2007 को सभी आरोपियों को थाना सिविल लाइन्स में धारा 399/402/34 भा.दं.सं. के तहत दर्ज प्र.सू.रि.सं. 161/07 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त कार्यवाही में दर्ज किए गए प्रकटीकरण बयानों के अनुसार, वर्तमान मामले में उनकी संलिप्तता सामने आई। सलीम ने अपने प्रकटीकरण बयान (प्र.अभि.सा.-

12/डी) के अनुसार प्लास्टिक के कच्चे माल के चार बैग बरामद किए, जिन्हें जब्ती ज्ञापन (प्र.अभि.सा.-12/जी) द्वारा जब्त कर लिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान, उन्होंने मकान सं. ई-3/27 से 24 बैग बरामद किए, जिन्हें जब्ती ज्ञापन (प्र.अभि.सा.-7/ए) के माध्यम से जब्त किया गया। अभि.सा.-7 (उप.नि.मनीष कुमार) ने अपनी निशानदेही पर 24 बैग बरामद होने की बात साबित कर दी और प्रतिपरीक्षा के बावजूद उसकी गवाही बरकरार रही। अभि.सा.-8 (निरीक्षक राज कुमार) ने भी इसी तरह की गवाही दी और आरोपी ने उनके बयान को चुनौती देने के लिए प्रतिपरीक्षा करने का विकल्प नहीं चुना। अभि.सा.-11 (लाल चंद) ने बयान दिया कि संबंधित टेम्पो संबंधित दिनांक और समय पर जहांगीर (शिकायतकर्ता) के कब्जे में था। अभियुक्त ने अपने खिलाफ़ पेश की गई परिस्थितियों के बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने बिना किसी ठोस कारण के पहचान परीक्षण कार्यवाही में शामिल होने से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के यह साबित करने में सफल रहा कि अपीलकर्ता उन हमलावरों में से एक था, जिन्होंने लूटपाट की थी तथा घटना के दिन शिकायतकर्ता से प्लास्टिक के कच्चे माल की 28 बोरियां छीन ली थीं।

4. धारा 397 में कारावास की न्यूनतम अवधि तय की गई है। धारा 397 के तहत उन्हें दोषी ठहराने से पहले विचारण न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाले कि हमलावरों के पास घातक हथियार थे और उन्होंने इनका इस्तेमाल किया था। वर्तमान मामले में

इस पहलू पर साक्ष्य का अभाव है और संदेह का लाभ अपीलकर्ता को दिया जाना चाहिए।

5. 'आप.अ. 515/2010 'गुलाब उर्फ़ बबलू बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)' में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> *"8. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई अपराधी लूट या डकैती करते समय किसी घातक हथियार का प्रयोग करता है या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है या मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो ऐसे अपराधी को कम से कम सात वर्ष की सजा दी जाएगी। यह प्रावधान ऐसे अपराधी के लिए न्यूनतम सजा निर्धारित करता है। इस मामले में न तो पीड़ित को गंभीर चोट पहुंची है और न ही ऐसा कोई सबूत है कि पीड़ित को मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया था और न ही यह दिखाने के लिए कोई सबूत है कि डकैती के समय इस्तेमाल किया गया चाकू एक "घातक हथियार" था। पीड़ित की जांघ पर मामूली चोटें आई हैं।*
>
> *9. चरण सिंह बनाम राज्य, 1988 आप. एल.जे. एनओसी 28 (दिल्ली) में, एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-*
>
> *"डकैती करते समय अपराधियों में से एक ने पीड़ित के हाथ पर चाकू से चोट पहुंचाई, लेकिन उक्त चाकू बरामद नहीं हुआ। धारा 397 के तहत आरोप स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह ठोस सबूत पेश करना होगा कि अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किया गया चाकू एक घातक हथियार था। चाकू को घातक बनाने वाली बात उसका डिजाइन या उसके इस्तेमाल*

का तरीका है जो मौत का कारण बन सकता है या मौत की संभावना रखता है। इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित किया जाना एक तथ्यात्मक प्रश्न है कि अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त चाकू एक घातक हथियार था। ऐसे साक्ष्य के अभाव में, विशेषकर हथियार की बरामदगी न होना, निश्चित रूप से मामले को धारा 397 के दायरे से बाहर कर देगा। अभियुक्त को धारा 392 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।

10. समीउद्दीन उर्फ़ छोटू बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, 175 (2010) दिल्ली लॉ टाइम्स 27 में, समन्वय क्षेत्राधिकार की एक पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि जब अपराध करने में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद नहीं होता है तो अपराध धारा 397 भा.दं.सं.के दायरे में नहीं आएगा। राकेश कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, 2005 (1) जेसीसी 334 और सुनील उर्फ़ मुन्ना बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), 2010 (1) जेसीसी 388 में, यह देखा गया कि डकैती के समय अपीलकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए चाकू की बरामदगी के अभाव में धारा 397 भा.दं.सं. के तहत आरोप स्थापित नहीं किया जा सकता है।

11. वर्तमान मामले में, निस्संदेह अपराध करने के लिए इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद नहीं किया गया। तदनुसार, मेरे विचार में, अपीलकर्ता को धारा 397 भा.दं.सं. के तहत सजा नहीं दी जा सकती थी और विचारण न्यायालय ने इस बिंदु पर गलती की है।"

6. इस मामले में, यह माना जा रहा है कि शिकायतकर्ता को किसी भी हथियार से कोई चोट नहीं पहुंचाई गई। अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार अपीलकर्ता से या उसके कहने पर बरामद नहीं किया गया।

शिकायतकर्ता ने अपराध में इस्तेमाल किए गए चाकू का विवरण, आकार या माप नहीं बताया। अपने बयान में उसने घटना के समय इस्तेमाल किए गए हथियार की मुख्य विशेषता का वर्णन नहीं किया। इस प्रकार, धारा 397 की सहायता से अपीलकर्ता को दोषी ठहराना स्वीकार्य नहीं था और इसे ख़ारिज किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत सजा के लिए अपीलकर्ता को दोषी अशोक के समान माना जाएगा, जिसे दिनांक 25.07.2013 के आदेश के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। तदनुसार, वर्तमान अपीलकर्ता की सजा को संशोधित किया जाता है और उसे चार वर्ष के कठोर कारावास में घटा दिया जाता है। सजा आदेश की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

7. अपील का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। विचारण न्यायालय का रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजा जाए।

(श्री एस.पी.गर्ग)
न्यायधीश

17 फरवरी, 2014/एसए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*